

परियोजना का नाम— जगपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लाट सं ० ६ एवं ७ में श्री हरीश थन्द्र शिल्डयाल पुत्र श्री महेशानन्द शिल्डयाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नैनीकर्प प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

मानक शर्तें

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वन पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रस्ताव भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संचुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की लति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यव से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुनूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण चथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जान सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के रथछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों के निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य दिभाग संरक्षा या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि रक्तः किसी प्रतिकर के भुगतान किय दिन वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्भीत भवग आदि स्थल विभा किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सङ्क निर्माण के प्रस्तावों पर सरेखण तथ करते समय रथानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नी०वि० हाला प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में गुण्य अधिगता, लो०नी०वि० को सम्बोधित

पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लोउनिवै० द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वार्ग बनाना अथवा वन भागों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने डेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की रत्नाकृति प्राप्त की जानी अनियार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पहने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य और वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने और वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभान द्वारा तथा किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 नौटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाज ले पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्मों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों ले बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनियार्य प्रतीत होत है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या रांगुल रेखल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यथ से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा विसी दिशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनियार्य होगा।
18. वन भूमि वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

For Auto Services & Pollution Control
80/- Mukund
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट— उक्त प्रभाग—पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।